



क्रम तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
0.12.22	<p style="text-align: center;">2</p> <p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>धानेश्वर महतो, पिता स्व0 गोवर्धन महतो, ग्राम-कोदवे, थाना-माण्डू हाल थाना-गिद्दी-ए, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-डाड़ी, मौजा-होसिर, थाना नं0-44, खाता संख्या-16, प्लॉट संख्या-1188, रकवा-10डी0 भूमि गोपाल महतो, पिता-स्व0 बंशी महतो, ग्राम-कोदवे, थाना-माण्डू हाल थाना-गिद्दी-ए, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं केवाला की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-236/2021 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-2769/रा0 दिनांक-24.12.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, डाड़ी को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, डाड़ी हजारीबाग के पत्रांक 322 दिनांक 10.12.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, डाड़ी हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -</p> <p>क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि विक्रेता को केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 37.25 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकवा 17.85 एकड़ है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-38/V पर गोवर्धन महतो के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2019-20 तक लगान रसीद निर्गत है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकवा 2.87 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।</p> <p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, डाड़ी हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p>	<p style="text-align: center;">3</p>

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई की टिप्पणी तारीख
1	2	3
	<p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, डाड़ी हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में धानेश्वर महतो, पिता स्व0 गोवर्धन महतो, ग्राम-कोदवे, थाना-माण्डू हाल थाना-गिद्दी-ए, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-डाड़ी, मौजा-होसिर, थाना नं0-44, खाता संख्या-16, प्लॉट संख्या-1188, रकवा-10डी0 भूमि गोपाल महतो, पिता-स्व0 बंशी महतो, ग्राम-कोदवे, थाना-माण्डू हाल थाना-गिद्दी-ए, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">  अपर समाहता, हजारीबाग। </p> <p style="text-align: right;">  अपर समाहता, हजारीबाग। </p>	